**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 964**

**बुधवार 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**औद्योगिक इकाइयों की स्थापना**

**अता.प्र.सं. 964. श्रीमती रजनी पाटिलः**

**श्री किरनमय नन्दाः**

**कुमारी शैलजाः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) विगत दो से तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सहायता से स्थापित औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार किए निवेश का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क): वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय देश में औद्योगिक इकाइयों की स्‍थापना करने के लिए केन्‍द्रीय स्‍तर पर प्रायोजित किसी योजना का प्रबंधन नहीं करता। हांलाकि, वाणिज्‍य विभाग निर्यात के विकास के लिए उपयुक्‍त अवसंरचना सृजन संबंधी कार्य में राज्‍यों को शामिल करते हुए वर्ष 2002-03 से “असिस्‍टैंस टू स्‍टेट्स फार इनफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट आफ एक्‍सपोटर्स (एएसआईडीई)” नामक एक केन्‍द्र स्‍तर पर प्रायोजित योजना को संचालित कर रहा है। बजट 2015-16 में, इस योजना को केन्‍द्रीय सहायता वाली योजनाओं से अलग कर दिया गया है।

(ख): गत तीन वर्षों के दौरान एएसआईडीई के अंतर्गत राज्‍यों को आवंटित/जारी निधियों का ब्‍यौरा **अनुबंध-1** के रूप में संलग्‍न है।

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

**29.7.2015 को उत्‍तर दिए जाने के लिए नियत राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 964 के भाग (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध**

गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित/जारी निधि का ब्‍यौरा

 **(रुपए करोड़ में)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेश का नाम** | **आबंटन** **2012-13** | **जारी 2012-13** | **आबंटन** **2013-14** | **जारी 2013-14** | **आबंटन** **2014-15** | **जारी** **2014-15** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 36.44 | 36.44 | 39.09 | 39.09 | 20.38 | 20.38 |
| 2 | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 20.38 |
| **3** | महाराष्ट्र | **64.00** | **64.00** | **64.00** | **64.00** | **64.00** | **64.00** |
| 4 | हरियाणा | 21.10 | 21.10 | 21.26 | 21.26 | 23.26 | 23.26 |
| 5 | कर्नाटक | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 |
| 6 | केरल | 16.62 | 16.62 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |
| **7** | उत्तर प्रदेश | **37.90** | **18.95** | **46.24** | **46.24** | **50.04** | **50.04** |
| **8** | पश्चिम बंगाल | **31.53** | **31.53** | **31.53** | **31.53** | **31.53** | **0.00** |
| 9 | पंजाब | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 15.98 | 15.98 |
| 10 | राजस्थान | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 22.14 | 22.14 |
| 11 | उड़ीसा | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |
| 13 | गुजरात | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |
| 15 | तमिलनाडु | 59.77 | 59.77 | 60.66 | 60.66 | 62.18 | 62.18 |
| 16 | असम | 29.41 | 29.41 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 48.84 |
| 17 | मणिपुर | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 18 | मेघालय | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| 19 | मिजोरम | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 20 | नागालैंड | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| 21 | सिक्किम | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 22 | त्रिपुरा | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| 23 | छत्तीसगढ़ | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| 24 | गोवा | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
| 25 | झारखंड | 6.29 | 3.145 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 26 | अरुणाचल प्रदेश | 3.53 | 0 | 3.53 | 0 | 3.53 | 3.53 |
| 27 | बिहार | 7.83 | 3.92 | 14.51 | 14.51 | 15.50 | 0.00 |
| 28 | उत्‍तराचंल | 5.08 | 2.54 | 5.08 | 0 | 5.08 | 0.00 |
| 29 | जम्मू और कश्मीर | 5.10 | 0 | 5.10 | 0 | 5.10 | 0.00 |
| 30 | दादर एवं नागर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | दिल्ली | 10.14 | 0 | 17.41 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | पांडिचेरी | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | अंडमान एवं निकोबार | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|   | कुल | **576.00** | **524.73** | **622.74** | **590.67** | **616.62** | **553.29** |

**\*\*\*\*\***